कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

//आदेश//

क्रमांक/ /रीडर/कले0/2020 कोण्डागांव दिनांक 22/07/2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। कोण्डागांव जिले में भी कोरोना वायरस तीव्र गति से फैल रहा है। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक 357/स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18.07.2020 के द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को नियंत्रित करने जिला स्तर पर प्रतिबंधात्मक आदेश के माध्यम से कड़ाई की जा सकती है, निर्देशित किया गया है।

अतः कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिला कोण्डागांव के नगरीय क्षेत्रों (नगरपालिका परिषद् कोण्डागांव, नगर पंचायत फरसगांव, केशकाल) एवं विकासखण्ड मुख्यालय ग्राम माकड़ी में दिनांक 24.07.2020 की मध्यरात्रि 12:00 बजे से दिनांक 31.07.2020 की रात्रि 12:00 बजे तक निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ लॉक डाउन किया जाता है :–

1. प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों के संचालन में बिन्दु क्रमांक 17 में दर्शित कार्यालयों को छोड़कर तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी। इस हेतु रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की होगी। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी पूर्वानुसार कार्य करेंगे।
2. यह निर्देश प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा में स्थित शासकीय कार्यालय एवं विभागों के अंतर्गत निगम/मण्डल/आयोग एवं अन्य प्रशासकीय ईकाईयों पर लागू होगा तथा केवल प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक ही प्रभावी रहेगा।
3. उपरोक्तानुसार स्थित शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगंतुकों का प्रवेश नही होगा।

Scanned with CamScanner

प्रतिबंधित क्षेत्र में लॉकडाउन की अवधि के दौरान समस्त सार्वजनिक और निजी गैर–आवश्यक परिवहन सेवाएं, जिनमें निजी बसें, टैक्सी, बसें, ऑटो रिक्शा, ई–रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है के परिचालन की अनुमति नहीं होगी एवं इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति होगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुएं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहें हो, उन्हें भी अपवादित स्थिति तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। शासन द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन को इस प्रतिबंध से छूट होगी।

5.. **प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर जाने की अनुमति सिर्फ स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति में ही होगी।**

6. **जिले के एवं बाहर से आ रहे व्यक्तियों के लिए अन्तर्जिला/अन्तर्राज्यीय आवागमन हेतु ई–पास अनिवार्य होगा।**

7. प्रतिबंधित क्षेत्रों (संबंधित नगरीय क्षेत्र) के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली ईकाईयों को निम्न शर्तों के अधीन छूट रहेगी –

क. यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री/ईकाईयों के अंदर करनी होगी तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

ख. आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री/ईकाईयों को स्वयं करनी होगी।

ग. संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा।

8. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगें।

9. विदेश से आने वाले सभी नागरिक को /अन्य राज्य से आये हुए नागरिक जो पेड क्वारेंटाईन /होम क्वारेंटाईन की निगरानी में रखे गये हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित क्वारेंटाईन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगें। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860

Scanned with CamScanner

की धारा 188 तथा महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगें।

10. प्रतिबंधित क्षेत्र के सभी नागरिक अपने घर पर रहेंगें। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करेंगें। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है (आपातकालीन स्वास्थ्यगत कारण को छोड़कर) घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।

11. प्रतिबंधित क्षेत्रों में सभी दुकानें (बिन्दु कमांक 18 की अनुमति प्राप्त दुकानों को छोड़कर), साप्ताहिक हाट–बाजार आदि बंद रहेंगें।

12. **होटल, रेस्टोरेंट, हास्पिटिलिटी सेवाएं (सेलून/नाई दुकान, मसाज पार्लर, पान दुकान /पान ठेला, ब्यूटी पार्लर, क्लब, बार, रिसार्ट, लॉज, कैफे) आदि बंद रहेगी।**

13. समस्त स्पोर्ट्स काम्पलेक्स एवं स्टेडियम एवं खेल परिसर में सम्पूर्ण गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगें।

14. सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर तथा ऑडीटोरियम, सभागृह एवं सभी प्रकार के मेले के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।

15. सभी सामाजिक/ राजनैतिक/ खेलकूद/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक गतिविधियों एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

16. यथासंभव माल वाहनों से माल की लोडिंग/अनलोडिंग भीड़–भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न किया जाये। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड़–भाड़ न हो।

17. **फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल दूरी रखने के संबंध में समय–समय पर छ0ग0 शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है –**

- कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, एस0डी0ओ0 पुलिस कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं

Scanned with CamScanner

उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, पुलिस थाना व पुलिस चौकी, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं, नगर पालिका कार्यालय (केवल कोविड–19 से संबंधित गतिविधियां) फायरब्रिगेड, साफ–सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था तथा अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं पूर्वानुसार संचालित रहेगी। **ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगें। उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगंतुकों का प्रवेश नहीं होगा।**

- होम गार्ड तथा बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यालय।
- पंजीयन कार्यालय (रजिस्ट्रार) कार्यालय (ऐप–पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय–सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर)
- भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय /राज्य सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय/विभागों के अंतर्गत निगम/मंडल/आयोग एवं अन्य प्रशासनिक इकाईयां,
- कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी
- स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लाईसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं)
- दवा दुकान एवं दवा उत्पादन की ईकाई एवं संबंधित परिवहन
- खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें
- उचित मूल्य की दुकानें (सार्वजनिक वितरण प्रणाली)
- पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण एवं अन्य गतिविधियां
- अग्निशमन सेवायें
- ए.टी.एम.
- मिल्क संयंत्र (मिल्क प्लांट)

Scanned with CamScanner

- मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं/सेवाएं जो इस आदेश में उल्लेखित हो को परिवहन करने वाले वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगी।
- बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं,
- जेल,
- टेलीकॉम/इंटरनेट सेवाएं/आई.टी. आधारित सेवाएं
- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
- पोस्टल सेवाएं,
- खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई–कार्मर्स आपूर्ति,
- आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए सड़क, रेल एवं अन्य माध्यम से लोगों के आवागमन की अनुमति होगी
- राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा

18. **सब्जी, फल, डेयरी, पनीर एवं किराना दुकान को समय पूर्वान्ह 06:00 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक संचालन करने की अनुमति होगी। संबंधित दुकान में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी।**

- ठेले पर घूम–घूम कर सब्जी/फल बेचने की अनुमति समय **पूर्वान्ह 06:00 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक** होगी।
- प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत संचालित ठेले, गुमटी का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित ढाबा एवं होटल सोशल डिस्टेसिंग के साथ एवं टेक–अवे/होम डिलीवरी सुविधा के माध्यम से ही संचालित किये जा सकेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित समस्त होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, भोजनालय प्रतिबंधात्मक आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।

Scanned with CamScanner

- थोक सब्जी मण्डी को समय **पूर्वान्ह 06:00** बजे से अपरान्ह 04:00 **बजे तक** संचालन की अनुमति होगी।
- घर पर जाकर दूध बांटने एवं न्यूज पेपर हॉकर हेतु समय **पूर्वान्ह 06:00 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक** अनुमति होगी।
- मटन, मुर्गा, मछली एवं अण्डा के दुकान को समय **पूर्वान्ह 06:00 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक** संचालन करने की अनुमति होगी।
- खाद, बीज, कीटनाशक की दुकान को समय **पूर्वान्ह 06:00 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक** संचालन करने की अनुमति होगी।
- पशुचारा विक्रय करने की अनुमति समय **पूर्वान्ह 06:00 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक** होगी।

19. <u>प्रभावित नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैकों के लिये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–</u>

- समस्त बैंक संचालन पूर्वानुसार सोशल डिस्टेसिंग के साथ किया जा सकेगा। बैंक के बाहर कतारों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की होगी।
- सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करने एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
- सभी बैकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नही कराई जावेगी।
- सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे।
- बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में सेनेटाइजर की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

<u>कोविड 19 की रोकथाम, बचाव एवं सुरक्षा हेतु सार्वजनिक स्थलों में निम्नानुसार निर्देशों/शर्तों का पालन सुनिश्चित करेंगे –</u>

1. **फेस कवर करना** – सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्य–स्थलों पर और परिवहन के दौरान फेसकवर पहनना अनिवार्य है।
2. **सोशल डिस्टेसिंग बनाना** – व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में कम से कम **06 फीट** की दूरी (दो गज की दूरी) रखी जाएगी।

Scanned with CamScanner

दुकान एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की स्थिति में – राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दण्डनीय होगा।

4. दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये।

5. दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करेंगे।

6. दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाकु आदि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

7. दुकान परिसर में 01–01 मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये।

8. Work from home (WFH) को बढ़ावा दिया जाये।

9. सम्पूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं की बार–बार सफाई सुनिश्चित की जावे।

10. विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या **50 (पचास)** होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

11. अंतिम संस्कार/अंत्येष्ठी जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम **20 (बीस)** होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

12. समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्केनिंग, मास्क, सैनेटाईजर, हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्त आदेशों एवं दिशा–निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

Scanned with CamScanner

वर्णित आदेश में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। यह आदेश केवल प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक ही प्रभावी रहेगा। **जिले में कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।**

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(पुष्पेन्द्र कुमार मीणा)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

पृ0कमांक / /रीडर/कले0/2020 कोण्डागांव, दिनांक /07/2020

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ0ग0शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. सचिव, छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. सचिव, छ0ग0शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
4. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर।
5. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज जगदलपुर।
6. पुलिस अधीक्षक, कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोण्डागांव।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोण्डागांव।
9. सहायक संचालक, जन संपर्क, कोण्डागांव को गहन प्रकाशन हेतु।
10. सर्व कार्यालय प्रमुख, जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कोण्डागांव/फरसगांव/केशकाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, कोण्डागांव/केशकाल/फरसगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व तहसीलदार/नायब तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, कोण्डागांव/फरसगांव/माकड़ी/केशकाल/ बड़ेराजपुर जिला कोण्डागांव को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।
14. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोण्डागांव/फरसगांव/माकड़ी/केशकाल/ बड़ेराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Scanned with CamScanner